न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 161 सन 2020

अनवान :–

1. सुशीला पत्नी संन्दीप जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रामपाल पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट साकिन नाथुसरी कला तहसील चौपटा जिला सिरसा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री कुलदीप खुडिया अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 11/03/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा सोनडी के खसरा न0 471/3 की 7.3220हैव भूमि कृष्णकुमार व रामकुमार पि0 स्व नेणाराम जाति जाट निवासी सोनडी हाल निवासी नाथूसरी के नाम बतोर खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड के नाम सें दर्ज है।

कृष्ण कुमार पुत्र नेणाराम ने अपना 1/2 हिस्सा भूमि में से 1.131हैव भूमि दिनांक 26.06.20147 को सुशीला पत्नी संन्दीप जाति जाट साकिन मलवानी को बेचान कर दी थी और कब्जा क्रेता ने प्राप्त कर लिया था।

कृष्ण कुमार पुत्र नेणाराम का दिनांक 25.12.2017 को देहान्त हो गया जिसके देहान्त होने पर कृष्ण कुमार की भूमि उसके वारिसान उसकी पत्नी पारी पत्नी कृष्ण कुमार एवं रामपाल पुत्र कृष्ण कुमार सतवीर पुत्र कृष्ण कुमार व समेस्ता पुत्री कृष्ण कुमार के नाम से विरास्तन से दर्ज हो गई एवं कृष्ण कुमार के वारिसान ने उक्त भूमि को अपने भाई रामपाल पुत्र कृष्ण कुमार के पक्ष में दस्तबरदारी कर दी जिसके कारण समस्त भूमि रामपाल पुत्र कृष्ण कुमार के नाम से दर्ज हो गई ।

प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने समस्त हिस्सा की भूमि यानी खसरा न0 471/3 की 3.661हैव भूमि में से 1.2650हैव भूमि धापी पत्नी महेन्द्र व 1.2650हेव भूमि कृष्ण कुमार पुत्र महेन्द्र को फरोख्त करने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 रामपाल के पास 1.131हैव भूमि शेष रही है जो वादीया की खरीदशुद्वा भूमि है जिसे वादीया काश्त करती आ रही है किन्तु वादीया के द्वारा खरीद की गई भुमि वादीया के नाम से दर्ज नही होने से वादीया के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है इसलिये वादीया अपनी खरीद की गई भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 2 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा खरीद की गई भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि वादीया के द्वारा खरीद की गई भूमि है जिसे वादीया अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही की गई तथा प्रतिवादी संख्या 2 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर निवेदन किया की वादी के कथनो एवं साक्ष्य

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

सबुतो के आधार पर बैयानामा के अनुसार राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही होने के कारण उनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा सोनडी के खसरा न0 471/3 की 7.3220हैक भूमि कृष्णकुमार व रामकुमार पि0 स्व नेणाराम जाति जाट निवासी सोनडी हाल निवासी नाथूसरी के नाम बतोर खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड के नाम सें दर्ज है।

कृष्ण कुमार पुत्र नेणाराम ने अपना 1/2 हिस्सा भूमि में से 1.131हैक भूमि दिनांक 26.06.20147 को सुशीला पत्नी संन्दीप जाति जाट साकिन मलवानी को बेचान कर दी थी और कब्जा क्रेता ने प्राप्त कर लिया था।

कृष्ण कुमार पुत्र नेणाराम का दिनांक 25.12.2017 को देहान्त हो गया जिसके देहान्त होने पर कृष्ण कुमार की भूमि उसके वारिसान उसकी पत्नी पारी पत्नी कृष्ण कुमार एवं रामपाल पुत्र कृष्ण कुमार सतवीर पुत्र कृष्ण कुमार व समेरता पुत्री कृष्ण कुमार के नाम से विरास्तन से दर्ज हो गई एवं कृष्ण कुमार के वारिसान ने उक्त भूमि को अपने भाई रामपाल पुत्र कृष्ण कुमार के पक्ष में दस्तबरदारी कर दी जिसके कारण समस्त भूमि रामपाल पुत्र कृष्ण कुमार के नाम से दर्ज हो गई ।

प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने समस्त हिस्सा की भूमि यानी खसरा न0 471/3 की 3.661हैक भूमि में से 1.2650हैक भूमि धापी पत्नी महेन्द्र व 1.2650हेक भूमि कृष्ण कुमार पुत्र महेन्द्र को फरोख्त करने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 रामपाल के पास 1.131हैक भूमि शेष रही है जो वादीया की खरीदशुद्वा भूमि है जिसे वादीया काश्त करती आ रही है किन्तु वादीया के द्वारा खरीद की गई भुमि वादीया के नाम से दर्ज नही होने से वादीया के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है इसलिये वादीया अपनी खरीद की गई भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है

वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 462/85 की कुल 7.3220हैक में से 1131/7322 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि कृष्ण कुमार पुत्र नेणाराम ने अपना 1/2 हिस्सा भूमि में से 1.131हैक भूमि दिनांक 26.06.2014 को सुशीला पत्नी संन्दीप जाति जाट साकिन मलवानी को बेचान कर दी थी और कब्जा क्रेता ने प्राप्त कर लिया था।

कृष्ण कुमार पुत्र नेणाराम का दिनांक 25.12.2017 को देहान्त हो गया जिसके देहान्त होने पर कृष्ण कुमार की भूमि उसके वारिसान उसकी पत्नी पारी पत्नी कृष्ण कुमार एवं रामपाल पुत्र कृष्ण कुमार सतवीर पुत्र कृष्ण कुमार व समेरता पुत्री कृष्ण कुमार के नाम से विरास्तन से दर्ज हो गई एवं कृष्ण कुमार के वारिसान ने उक्त भूमि को अपने भाई रामपाल पुत्र कृष्ण कुमार के पक्ष में दस्तबरदारी कर दी जिसके कारण समस्त भूमि रामपाल पुत्र कृष्ण कुमार के नाम से दर्ज हो गई ।

प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने समस्त हिस्सा की भूमि यानी खसरा न0 471/3 की 3.661हैक भूमि में से 1.2650हैक भूमि धापी पत्नी महेन्द्र व 1.2650हेक भूमि कृष्ण कुमार पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

महेन्द्र को फरोख्त करने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 रामपाल के पास 1.131हैक भूमि शेष रही है जो वादीया की खरीदशुदा भूमि है जिसे वादीया काश्त करती आ रही है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी ने अपने उक्त कथनों के समर्थन में बैयनामा दिनांक 24.06.2014 की प्रति पेश की गई जिसके अनुसार कृष्ण कुमार पुत्र नेणाराम के नाम रोही मोजा सोनडी के खाता संख्या 85/64 की कुल 7.322हैक भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज थी जिसमे से वादीया को 1.131 हैक भूमि का बेचान किया गया था जो बैयानामा की प्रति से पूर्णत्या साबित है।

कृष्ण कुमार पुत्र नेणाराम के देहान्त होने के बाद उसके वारिसान ने अपने हक हिस्सा की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग करने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का बेचान अन्य काश्तकारो को बेचान करने के बाद 1.131हैक यानी 1131/7322 हिस्सा भूमि शेष बची है जो वादीया के द्वारा खरीद की गई भूमि है जिसे वादीया बेयनामा के अनसुार अपने नाम से दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर एवं वादी के वाद के सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज पेश नही होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 462/85 की कुल 7.3220हैक भूमि में से 1131/7322 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 11/03/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. सुशीला पत्नी संन्दीप जाति जाट निवासी गलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 रामपाल पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट साकिन नाथुसरी कला तहसील चौपटा जिला सिरसा

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 923 सन 2020 निर्णय दिनांक– 11/03/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 462/85 की कुल 7.3220हैक भूमि में से 1131/7322 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/03/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner